उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-707/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(197)-2021

लखनऊः दिनांकः 04 अगस्त, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017)(जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-177/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(03)-2019 दिनांक 22 जनवरी, 2019 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) आंठवे परंतुक में, तारीख 20 मई, 2021 से, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रख दी जायेगी, अर्थात्: -

"सारणी

क्रम संख्या (1)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	कर अवधि (3)	अवधि जिसके लिये विलंब फीस अधित्यक्त की गयी (4)
1	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	मार्च, 2021, अप्रैल, 2021 और मई, 2021	विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पंद्रह दिन तक
2	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा- धारा (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने के लिये दायी हैं	मार्च, 2021	विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से साठ दिन तक
		अप्रैल 2021	विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पैंतालीस दिन तक
		मई 2021	विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीस दिन तक

3	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा- (1) के परंतुक के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने के लिये दायी हैं	जनवरी - मार्च 2021	विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से साठ दिन तक"।

(ii) आंठवे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिये जायेंगे,अर्थात्:-

"परंतु यह भी की उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो नियत तारीख तक माह/ तिमाही जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के लिए प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहते है" लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन विलम्ब शुल्क की कुल धनराशि अधित्यक्त की जायेगी जो पांच सौ रुपये से अधिक है:

परंतु यह भी की यदि उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की कुल धनराशि शून्य है तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन विलम्ब शुल्क की कुल धनराशि अधित्यक्त की जायेगी जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिये दो सौ पचास रुपये से अधिक की है और जो नियत तारीख तक माह/ त्रिमास जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के लिए प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते है:

परंतु यह भी की उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो की निम्न सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि और जो नियत तारीख तक प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहते है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन जून 2021 की कर अवधि से या जून 2021 को ख़तम तिमाही की कर अवधि से, जैसी भी स्थिति हो, देय विलंब फीस की कुल धनराशि, जो निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक है, अधित्यजन किया जाता है, अर्थात्: -

सारणी

क्रम संख्या (1)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	धनराशि (3)
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनकी उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की धनराशि शून्य है	दो सौ पचास रुपये

2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो, और जो क्रम संख्या (1) के अंतर्गत आने वाले से भिन्न हो	एक हज़ार रुपये
3.	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ से अधिक हो और 5 करोड़ से कम हो, और जो क्रम संख्या (1) के अंतर्गत आने वाले से भिन्न हो	दो हज़ार पांच सौ रुपये"

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव